MOTION REGARDING JOINT COMMITTE

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI. O. RAJAGOPAL): Sir, on behalf of Dr. Raman, I move the following Motion :—

"That Dr. Biplab Dasgupta and Shri Fali S. Nariman, Members, Rajya Sabha, be appointed to the Joint Committee of the Houses on the Patents (Second Amendment) Bill, 1999, in the vacancies caused by the retirement of Dr. Biplab Dasgupta and Shri Jayant Kumar Malhoutra from the membership of Rajya Sabha w.e.f. 2nd April, 2000."

The question was put and the motion was adopted.

MOTION REGARDING SELECT COMMITTEE

SHRI ADHIK SHIRODKAR (Maharashtra) : Sir, I move the following motion:—

"That this House do appoint Shri J. Chitharanjan to the Select Committee on the Prevention of Money-Laundering Bill, 1999 in the vacancy caused by the retirement of Shri Gurudas Das Gupta from the membership of Rajya Sabha."

The question was put and the motion was adopted.

SPECIAL MENTIONS

Delay in the Passage of Women's Reservation Bill

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) : सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय को उठाने की सहमति इस सदन में दी है । महिला आरक्षण विधेयक पर यह सरकार जिस तरह ख़ामोशी साधे हुए है, वह अक्षम्य है । सभापति जी, मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या एक बार फिर इस महिला आरक्षण विधेयक के साथ हिंदू कोड बिल का इतिहास दोहराया जाएगा? मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या एक बार फिर ख़ामोशी के साथ इस बिल का दहन करते हुए एक और सति कांड किया जाएगा? सभापति जी, 1996 से लेकर सन् 2000 तक चार वर्ष गुज़र गये और चार वर्षों से यह विधेयक आज तक संसद और सरकार के गलियारों में घूम रहा है । कभी

सर्वानुमति के नाम पर तो कभी किसी और बहाने से इस बिल को अटकाया जा रहा है । सभापति जी, अब हम देख रहे हैं कि एक ओर हमारे देश में महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्राकुल देशों के महिला विषयक मंत्रियों की बैठक की जाती है लेकिन इसके बावजूद सरकार की ओर से कोई सुगबुगाहट नहीं होती कि वे महिला सशक्तिकरण कैसे करेंगे ? हाल ही में अब हमारे चुनाव आयोग ने एक नया शगूफ़ा छेड़ दिया है और नया शगूफ़ा छेड़कर इस बिल की अकाल मृत्यु का पूरा प्रबंध कर दिया है । मैं यह जानना चाहती हूं कि आखिर चुनाव आयोग ने फिर से उस पुराने मत को क्यों खड़ा कर दिया है जिस पर विवाद करके, विचार करके उसको बंद कर दिया गया था, उसे अव्यावहारिक समझते हुए उसे बंद कर दिया गया था? मैं समझती हूं कि यह चुनाव आयोग के अख्तियार की चीज नहीं है। यह एक बहुत ही जटिल समस्या है। हमारी पार्टी लगातार इस महिला आरक्षण विधेयक के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराती रही है, अपनी ईमानदारी को दोहराती रही है और सरकार से लगातार मांग करती रही है । इस आठ मार्च को तमाम हमारे देश के जो बड़े-बड़े महिला संगठन हैं, उन महिला संगठनों ने प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन दिया। उन ज्ञापन देने वालों में मैं भी एक थी किन्तु इसके बावजूद भी सरकार की ओर से कोई बातचीत नहीं की जा रही है और अब हमारा चुनाव आयोग कह रहा है कि राजनीतिक पार्टियों पर यह छोड़ दिया जाए, जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन कर दिया जाए । चुनाव आयोग की यह राय बिल्कुल व्यावहारिक नहीं है । स्टेटस कमेटी की जब रिपोर्ट बनी - 71 से लेकर 73 तक इसमें चर्चा हुई और दिसम्बर 1974 में वह रिपोर्ट रखी गयी। इस पूरे मसले पर इस रिपोर्ट में चर्चा हुई।

यह समझा गया कि यह व्यावहारिक नहीं है, इसमें नोट ऑफ डिसैंट भी दिया गया । मेरा यह कहना है कि अगर वास्तव में हमारी यह सरकार इस विधेयक के प्रति ईमानदार है, अगर इस विधेयक के प्रति प्रतिबद्ध है - मैं समझती हूं कि सरकार की प्राथमिकताओं में ही यह विधेयक नहीं है । अगर सरकार की प्राथमिकताओं में यह विधेयक होता तो इस विधेयक का यह हश्र नहीं होता । संसद का यह सत्र भी खत्म हो जाएगा, बिल की 90 दिन की मियाद भी खत्म हो जाएगी और इस बिल की अकाल मृत्यु का पूरा प्रबंध यह सरकार कर रही है । इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि अगर वास्तव में हम हमारे देश में जनतंत्र के प्रति प्रतिबद्ध हैं, अगर वास्तव में महिला के सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्ध हैं और राजनीति में वास्तव में महिलाओं को अधिकार देना चाहते हैं - यह राजनीति का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें सबसे ज़्यादा स्त्रियों और पुरुषों के बीच भेदभाव है । हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस बात को समझते हुए - वास्तव में हमारे आज़ादी के आंदोलन की जो विरासत थी, उस विरासत से हमें सीखना चाहिए कि हमारी आज़ादी का आंदोलन तब तक सफल नहीं होता जब तक हमारे देश की महिलाएं आगे नहीं आतीं - महात्मा गांधी ने लाखों महिलाओं को जो घरों में बैठी हुई थीं, उन्हें

आज़ादी के आंदोलन के साथ जोड़ दिया, गांव की महिलाओं को जोड़ दिया। लेकिन आज हमारी सरकार महिलाओं की इस जागृत चेतना से डरी हुई है इसलिए मैं यह कहना चाहती हूं कि महिला आरक्षण विधेयक पर इस तरह की चुप्पी हमारे देश की महिलाएं और बर्दाश्त नहीं करेंगी। हमारा हिंदुस्तान एक जनतांत्रिक देश है और आज की महिलाएं अहिल्या की तरह शिला बनकर राम की प्रतीक्षा नहीं करेंगी । अपनी मुक्ति के लिए वे खुद इस देश की करोड़ों जनता को जागृत करेंगी और आप देखिएगा, महिला आरक्षण विधेयक को निश्चित रूप से पास होना चाहिए। मेरी आपके माध्यम से सदन में मांग है, मैं तमाम सांसदों से कहना चाहूंगी कि वे अपने तमाम सामन्ती पूंजीवादी पुरुष वर्चस्व के विचारों से उभरें और वास्तव में महिलाओं को समान अधिकार दें। महिलाओं के समान अधिकारों के साथ ही हमारे समाज की मुक्ति है, पुरुषों की भी मुक्ति है । इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हमारी यह समाज व्यवस्था बदले और हमारा यह समाज, हमारा यह हिंदुस्तान वास्तव में जनतांत्रिक देश बने तो मेरा आपसे निवेदन है, सरकार से आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूं कि - यहां कोई मंत्री नहीं बैठे हुए हैं जो इस बात पर कम से कम आश्वासन दें।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : तीन-तीन मंत्री हैं। **(व्यवधान)**.. पटवा जी हैं ।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : पटवा जी संसदीय मंत्री नहीं हैं, नेता सदन भी नहीं हैं ।

सभापति जी, यहां पर महिला मंत्री बैठी हुई हैं, वे कम से कम अपने समर्थन का इजहार करें और यह आश्वासन दें कि यह बिल जल्दी से जल्दी पास हो इसीलिए मैं यह कहना चाहूंगी कि यह बहुत बड़ी लड़ाई है, समय शेष है। 'नहीं पाप का भागी केवल व्याध्र जो रहेगा तटस्थ, समय रहेगा उसका भी अपराध'। कम से कम आप इस अपराध के भागी न बनें। महिलाओं पर सदियों से जो अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं उनको सुधारने के लिए कम से कम एक कदम तो उठाइए। महोदय, मुझे डॉ. अम्बेडकर की याद आती है, संविधान संशोधन पर चर्चा हो रही थी तो सभी लोगों ने इस बात को माना कि स्त्री-पुरुष में भेद नहीं होना चाहिए बल्कि उनमें समानता होनी चाहिए। लेकिन यही संविधान सभा जब विधाई सभा बनती है और जब हिन्दू कोड बिल आता है तो वही लोग उसका विरोध करने लगते हैं तो डॉ. अम्बेडकर कहते हैं कि मुझे बहुत आश्चर्य है। मुझे वही इतिहास के पन्ने याद आ रहे हैं। जिन लोगों ने उस समय हिन्दू कोड बिल का विरोध किया था, परिवार बचाओ, परिवार बचाओ के नाम पर आज वही लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। इसलिए मैं चाहती हूं कि इस बिल का वही हश्र न हो जो हिन्दू कोड बिल का हुआ था। अतः इस महिला आरक्षण बिल को जल्दी से जल्दी पारित किया जाए।

SHRI SOLIPETTA RAMACHANDRA REDDY (Andhra Pradesh): Mr. Chairman, Sir, I associate myself with this issue. Thank you.

श्री मोहम्मद आज़म खान (उत्तर प्रदेश): महिलाओं के बारे में पुरुषों को बोलने दीजिए। .....**(व्यवधान)**.....

MR. CHAIRMAN: One person from each party. ...*(Interruptions)*.... Every party is interested in this Bill. I will call one person from every party.

श्री संजय निरुपम (महाराष्ट्र): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरला माहेश्वरी जी को यह बताना चाहता हूं कि हम उन लोगों में से नहीं है जो तटस्थ हैं, हम महिला आरक्षण विधेयक के पक्षधर हैं। सरला जी को मैं यह भी बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य था जिसने तीन-चार साल में अपनी विधान सभा से प्रस्ताव पारित करके केन्द्रीय सरकार के पास भेजा और बताया कि जितनी जल्दी हो महिला आरक्षण विधेयक लाइये, महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र विधान सभा और महाराष्ट्र के लोग आपके साथ हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, पिछले चार वर्षों से मैं यह देख रहा हूं कि यह बिल, जब संसद का अधिवेशन खत्म होने को होता है तो उसके आखिरी दिनों में ही क्यों इंटरोड्यूज किया जाता है? इस बिल को आप सत्र के पहले दिन ही इंटरोड्यूज करिए और उसके बाद चर्चा करिए। महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि महिला आरक्षण विधेयक इस सदन में रखा जाए, इस पर चर्चा की जाए और इसे पारित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। जो लोग महिलाओं को जातियों और धर्मों में बांटना चाहते हैं, मैं उनसे सहमत नहीं हूं, महिलाओं को महिलाएं ही रहने दीजिए। ओ.बी.सी. या किसी अन्य सम्प्रदाय के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, मैं इसका पक्षधर नहीं हूं। निश्चित तौर पर बिल आना चाहिए, उस पर बहस होनी चाहिए। अगर किसी पक्ष या दल के मन में ऐसी कामना है कि महिलाओं को जाति और धर्म के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए तो उस पर चर्चा हो और उस चर्चा में अपनी बात रखें और उसके बाद सदन एक मत से जिस विषय पर भी सहमत हो, उस सहमति के बाद विधेयक को पास किया जाए। महोदय, सरला माहेश्वरी जी ने जो विषय महिला आरक्षण विधेयक का यहां रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं, उसको तत्काल सदन में रखा जाए, उस पर चर्चा की जाए और उसको पारित करने का प्रयास किया जाए। यही मेरा निवेदन है।

SHRI PRANAB MUKHERJEE (West Bengal): Mr. Chairman, Sir, I associate myself with this issue which has been raised by Shrimati Sarla Maheshwari and Shri Sanjay Nirupam. Sir, we agree with each other on very rare occasions.

श्री संजय निरुपमः सर, जो सही मुद्दे होंगे उन पर हम सहमत होंगे। ...(व्यवधान)...

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, this Bill has already been introduced and a great deal of discussion has taken place. I would request the Government to make one serious effort to bring about some sort of a consensus. So far as our party is concerned, we are fully committed to provide 33 per cent reservation. I would like to assure the Government that whenever they bring this Bill for consideration in any of the Houses, they would get our full support.

We do believe that there is a need for making another effort. I am not going into the proposal of the Election Commission because in a meeting of the recognised parties, various political parties, including the ruling party, the BJP, have expressed their views. They also felt that the Constitution (Amendment) Bill which is pending before the House should be given a fair trial and another exercise should be made and evolve a consensus so that we can introduce the Constitution (Amendment) Bill with the requisite numbers, and fulfil the commitment which most of the political parties have made in their manifestoes for reservation for women in both the Lok Sabha and in the Vidhan Sabha. Thank you, Sir.

SHRI SANTOSH BAGRODIA (Rajasthan): I associate myself with this.

SHRIMATI AMBIKA SONI (Delhi): I also associate myself with this Special Mention.

DR. (SHRIMATI) JOYASREE GOSWAMI MAHANTA (Assam): Sir, it is a very serious matter that the Women's Reservation Bill has remained stagnant for a long time. On my behalf and on the behalf of my party, I support this Bill. Sir, in our voting pattern under the Constitution of India, the right of women and men is equal. But the women are not being equally represented here. The atrocities and other problems of women are not properly focussed in Parliament. So, I want the passage and passing of the Women's Reservation Bill with immediate effect.

DR. ARUN KUMAR SARMA (Assam): I also associate myself with this Special Mention.

SHRI R. MARGABANDU (Tamil Nadu): Sir, my party and my leader, Dr. Puratchi Thalaivi, are fully committed to this Bill and we want that this Bill should be introduced and passed. Now all the political parties are talking about reservation for women and their uplift. But they are reluctant to push the Bill through and, thereby, give them due powers. My party is committed to this, and therefore, I request this Government to introduce this Bill and get it passed.

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU (Pondicherry): I welcome this Bill. The DMK party will, definitely, vote for the Bill once it is placed before both the Houses. I just want to say one thing. Shri Sanjay Nirupam said that there should not be any division among women. We are not saying that there should be a division. But, on the other hand, there should be reservation in the Bill for backward classes, Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the minority communities. There should also be a reservation for women in the Panchayati elections. Under the Constitution, there is reservation for backward classes, the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the minority communities. These downtrodden people should be able to get representation in Parliament. But, even without this provision for reservation, we would support the Bill as it is.

श्रीमती सरोज दुबे (बिहार) : सभापति महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है जिसे श्रीमती सरला माहेश्वरी जी ने उठाया तथा मैं स्वयं को इससे सम्बद्ध करते हुए कहना चाहती हूं कि सड़क से संसद तक की दूरी तय करने वाला यह महिला आरक्षण विधेयक फिर से एक बार ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। यह विधेयक कहां है, किस हाल में है, किस गलियारे में है इसका पता नहीं चल पा रहा है तथा सभी राजनीतिक पार्टियां एक-दूसरे पर आरोप लगाकर बार-बार इस बिल को पीछे धकेल देती हैं ताकि महिलाओं को उनका अधिकार न मिल सके, आरक्षण न मिल सके। अभी एक नया शगूफा छेड़ दिया गया है इलेक्शन कमीशन के माध्यम से । यह कहना कि पार्टी के लोगों को टिकट देना चाहिए, इस संबंध में मैं अपनी पार्टी की ओर से विरोध दर्ज करते हुए कहना चाहती हूं कि हमें टिकट नहीं चाहिए, हमें महिलाओं के लिए 33 परसेंट सीट चाहिए । महिलाएं जब महिलाओं के खिलाफ लड़ेंगी और जीतकर आएंगी तभी वे देश के विकास में अहम भूमिका निभा पाएंगी । हमारी पार्टी की मान्यता है कि इसका लाभ केवल अभिजात्य वर्ग की महिलाओं को ही नहीं मिलना चाहिए । इसमें पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को भी समुचित आरक्षण मिलना चाहिये। जो हमारा श्रमिक महिला वर्ग है, पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, जो इस देश के विकास में अपनी भूमिका अदा करना चाहती हैं, उनको भी इसमें आरक्षण मिलना

चाहिये। अभिजात्य वर्ग की महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो हो जाता है, इन पिछड़े वर्गों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं । इसलिए मैं यह कहना चाहती हूं कि उनकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये । उनको बराबरी का अधिकार दिया जाना चाहिये । महिला आरक्षण विधेयक के बारे में जब भी बात की जाती है, इस सत्र का आधा सफर तय हो चुका है तब इसकी चर्चा चल रही है और सत्र समाप्त होने को है। जैसे कि संजय निरुपम जी ने कहा कि हल्ला मचेगा और उसके बाद सत्र खत्म हो जाएगा । मैं राजनीतिक दलों से यह कहना चाहती हूं जब कांग्रेस का इसको समर्थन है, सत्ता पक्ष का इसको समर्थन है, क्यों नहीं इस विधेयक को पास करने के लिए लाया जाता है? जब बिल पर बहस होगी तो अपने आप तय हो जाएगा कि पिछड़े और अति पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिये या नहीं दिया जाना चाहिये । कम से कम जो अल्पसंख्यक वर्गों का हितैषी होने का दावा करते हैं उनका पर्दा फाश हो जाएगा । इसलिए मैं इस बिल के पास होने और लाए जाने का पूरा समर्थन करती हूं । सरला माहेश्वरी जी ने जो बात उठाई, मैं उसका समर्थन करती हूं । साथ ही साथ यह निवेदन करना चाहती हूं कि इसमें पिछड़े, अति पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिये और बिल इसी सत्र में पेश करके पास होना चाहिये। इलेक्शन कमीशन ने जो बात कही है, उस पर भी सब पार्टियों का रुख स्पष्ट होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं महिला आरक्षण बिल लाए जाने का समर्थन करती हूं ।

श्री रामदेव भंडारी (बिहार) : हमने श्रीमती राबड़ी देवी को मुख्य मंत्री बना कर पहले ही आरक्षण लागू कर दिया है ।...**(व्यवधान)**

SHRI S. R. BOMMAI (Karnataka): Sir, I am proud to state that it was the Karnataka Government which, for the first time, reserved 33% of the seats in all the *panchayats, taluqa panchayats, zila parishads,* corporations and municipalities, for women. And it has been our experience that after that, the administration of these local bodies has improved. Now, we have gone a step ahead. We have provided reservation for women belonging to Backward Classes, minorities and the Scheduled Castes, separately, and women from these categories are occupying the offices of chairmen, presidents or mayors of corporations, and there is no conflict. It is smoothly working. Therefore, we have already supported it in principle. I think the Government should not hesitate in bringing the Bill in this session and, if necessary, a consensus can be arrived at. The Prime Minister has already made an effort. The Prime Minister can make another effort so that the Bill is passed without much discussion. I support it.

श्रीमती सविता शारदा (गुजरात) : सभापति महोदय, इस महिला आरक्षण बिल को लाए जाने के बारे में बार बार चर्चा होती रहती है और मुझे लगता है हमेशा इसका दोषारोपण भारतीय जनता पार्टी पर किया जाता है कि यह पेश नहीं कर रहे हैं । मुझे लगता है कि यह बहुत गलत बात है क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी का यह विश्वास है कि यत्र नार्यास्तु पूज्यंते तत्र रमंते देवता। इसलिए हमारी पार्टी हमेशा इस बिल को पास करवाने के पक्ष में रही है। यह बिल पास होना चाहिये । लेकिन न जाने राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कुछ पार्टियां कुछ न कुछ कहती रहती हैं । ऐसा नहीं होना चाहिये। मुझे लगता है कि औरतें सक्षम हैं और वह अपने आप को आगे बढ़ा सकती हैं । यह 33 परसेंट क्यों लिया जाता है, मुझे लगता है कि अगर उनमें क्षमता है तो इससे भी आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन 33 परसेंट मिनिमम ठीक है, हमने रख दिया है, यह हमें मिलना चाहिये। लेकिन हर बार यह जातियां जो बांट दी जाती हैं यह छोटी-छोटी जातियां हैं या जनजातियां हैं या जो गरीब महिलाएं हैं, मुझे लगता है कि औरत औरत है, महिला, महिला है, वह किसी भी पार्टी से हो, यह उनकी पार्टी के ऊपर निर्भर करता है कि उनकी अपनी पार्टी उनको सीट देना चाहती है या नहीं देना चाहती है । लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मैं तारीफ करती हूं कि उन्होंने जहां कहीं भी दीं, 33 परसेंट के हिसाब से सभी महिलाओं को उन्होंने सीट दी है। लेकिन बार बार ...**(व्यवधान)** लेकिन मैं यह कहना चाहती हूं कि सभी पार्टियों के राजनीतिज्ञ जो फायदा उठाना चाहते हैं वह न उठाकर इस बिल को पास करने में हमारी मदद करें। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अकेली नहीं है इसमें एन डी ए के लोग हैं। इसमें अलग अलग लोग हैं। इसलिए उनकी क्या स्थिति है ...**(व्यवधान)**

मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी (बिहार) : बगावत कर रहे हैं क्या ? बागी हो गए हैं?...**(व्यवधान)**

श्रीमती सविता शारदा : बागी नहीं हैं। सब साथ में हैं लेकिन सभापति महोदय, किसी भी बिल को पास कराने में टू-थर्ड मेजारिटी हमें चाहिए। मैं यह कहना चाहती हूं कि बार बार ये मुद्दे उठाए जाते हैं। हम बिल पास कराने के पक्ष में हैं और मैं यह चाहती हूं कि सभी पक्ष भले वह कांग्रेस हो, सी पी आई हो, सी पी आई (एम) हो, सभी पार्टियां मिलकर इन बहनों के लिए सच में अगर बिल पास करवाना चाहते हैं तो आज इस सदन में खड़े होकर यह कहें कि हां हम अपने मन से 33 परसेंट का जो बिल है उसको पास करवाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करेगी और उसी क्षण यह बिल पास हो जाएगा, ऐसा मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहती हूं।

श्री प्रफुल्ल पटेल (महाराष्ट्र) : आदरणीय सभापति जी, सरला जी ने यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा प्रस्तुत किया है। कई वर्षों से संसद के भीतर और बाहर हमारी बहनों को संसद और विधान सभाओं में आरक्षण देने के संबंध में, विधेयक लाने की चर्चा होती रही है। सारी पार्टीज एक बात से सहमत हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। इसके बावजूद हमेशा संसद के भीतर और बाहर वाद-विवाद में इस विधेयक को लाया गया है। मैं अपनी पार्टी की ओर से संसद के इस सदन का जरा ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मेरे नेता शरद पवार जब महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री थे तो पंचायती राज विधेयक के द्वारा महिलाओं को 33 परसेंट आरक्षण जिला परिषद और पंचायत समितियों में प्रथम बार पूरे भारत में किसी राज्य ने अगर दिया तो वह महाराष्ट्र ने दिया। इतना ही नहीं महिलाओं को अपने पति की प्रापर्टी में या अपने पिता की प्रापर्टी में बराबरी का अधिकार भी मिलना चाहिए यह भी अगर विधेयक वीमेन्स बिल के माध्यम से किसी विधान सभा ने पारित किया तो वह महाराष्ट्र ने किया जब शरद पवार जी मुख्य मंत्री थे और इसी के तहत मैं आज यहां पर अपनी पार्टी एन सी पी की ओर से कहना चाहता हूं कि महिला विधेयक, यह आरक्षण विधेयक जल्द से जल्द संसद में ...**(व्यवधान)** बार-बार प्रस्तुत तो किया गया है, यह आप और हम सब जानते हैं लेकिन जहां आम सहमति का सवाल है, यह तो सरकार की जिम्मेदारी होती है क्योंकि विधेयक वे लाते हैं और सारे सदन का एकमत कराने का भी कार्य सरकार का होता है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो भी कुछ इसमें ऐसे संवेदनशील मुद्दे हैं जिनकी वजह से बार बार यह मैच इधर से उधर होता रहा है, इसके लिए कुछ न कुछ रास्ता निकाले। कुछ भावनाएं यहां पर व्यक्त की गयीं आरक्षण के भीतर आरक्षण। खैर मैं इस बारे में अपनी सहमति नहीं प्रस्तुत कर सकता हूं। मैं इतना जरूर कहूंगा कि महिलाओं को 33 परसेंट जो आरक्षण है वह हर हाल में मिलना चाहिए और इसके लिए मेरा पक्ष, मेरे नेता, हम सब लोग संसद के भीतर और बाहर कटिबद्ध हैं। मैं, सरला जी ने जो भावना व्यक्त की है इसके साथ अपनी सहमति व्यक्त करता हूं।

***श्री मोहम्मद आज़म खान:** माननीय सभापति जी, यह बहुत ही अहम मुद्दा है और इस पर सदन में कई बार गरमा-गरमी का माहौल भी बना है। हमारी पार्टी का भी मानना यही है कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन इस के साथ-साथ हमारी पार्टी

---

* Transliteration of the speech in Persian Script is available in the Hindi version of the debate.

की एक फिक्र भी है, सोच भी है और उसी फिक्र, सोच को सामने रखकर मैं आप से कहना चाहूंगा कि आजादी के इतने सालों बाद भी हमें सुनने को तो बहुत अच्छी-अच्छी बातें मिलती हैं कि इस आरक्षण से हमें इत्तफाक है, लेकिन पुरुष कैसे भी हों, किसी भी वर्ग से हों वे पुरुष हैं और महिला किसी भी वर्ग से हो वह महिला है। सच्चाइयों से इंकार नहीं हो सकता और चूंकि सच्चाइयों से इंकार नहीं हो सकता इसीलिए यह रिजर्वेशन का प्रोवीजन हुआ है और समाज के दबे हुए लोगों को उठाने के लिए कानून ने जमानत दी है ।

सभापति जी, समाज में दबी हुई महिलाएं हैं और इस हद तक दबी हुई हैं कि अगर हम अभी इस सदन से बाहर निकलकर सड़क पर देखें तो इस तपती हुई धूप में पत्थर तोड़ने का काम आज भी महिलाएं कर रही हैं । आज भी धूप में डामर की सड़कें बनाने का काम महिलाएं करती मिलेंगी । हमारी सामाजिक व्यवस्था इस हद तक जर्जर हो चुकी है कि मुझे दो रोज पहले अखबार में पढ़ने को मिला कि कुछ नाबीना औरतों ने शिकायत की कि उन के स्कूलों के स्वामियों ने उन के साथ बराबर एक साल से अन्याय का बर्ताव किया। महोदय, ऐसे में हमारी पार्टी की फिक्र और सोच यह है कि हमारी समाज की वे महिलाएं जो अभी भी इतनी दबी हुई हैं, उन का क्या होगा ? इस रिजर्वेशन में उन की हिस्सेदारी कैसे होगी ? महोदय, हमारे सदन में जितनी भी महिलाएं राज्य सभा में या लोक सभा में आती हैं, हमें उन के फीसद से भी अंदाजा हो सकता है कि हम कितना रिजर्वेशन चाहते हैं और कितना चाहते रहे हैं ? सरकार की संजीदगी ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय निरुपम : आप चर्चा तो करिए, पहले ही अगर इस तरह का माहौल बना देंगे तो बिल सदन में कभी नहीं आ पाएगा । ...**(व्यवधान)**...

श्री संघ प्रिय गौतम : सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाते हैं ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : आप अपनी बात कहिए ।

***श्री मोहम्मद आज़म खान** : सभापति जी, दरअसल उम्र से इतने बुजुर्ग अगर डिस्टर्ब करें तो हमें चुप हो जाना चाहिए।

तो सरकार की संजीदगी का भी अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन हमारी पार्टी का अपना यही मानना है कि रिजर्वेशन के हम मुखालिफ नहीं हैं । हालांकि कई बार यह बात कही गयी है कि फीसद को लेकर हमारा कोई विरोध हो सकता है, लेकिन हमारी

---

* Transliteration of the speech in Persian Script is available in the Hindi version of the debate.

बुनियादी परेशानी समाज की वह महिला, समाज का वह वर्ग है जिसे आज भी जीने का आधा अधिकार भी नहीं है, जिसे इस गलियारे तक पहुंचने की हिम्मत नहीं हो सकती, वह सोच भी नहीं सकता । हमारी सोच या हमारी फिक्र उन महिलाओं के लिए नहीं है, तनहा उन महिलाओं के लिए नहीं है जो दिल्ली की सड़कों पर आकर रिजर्वेशन की मांग कर सकती हैं, हमारी फिक्र सिर्फ उन महिलाओं तक नहीं है जो स्कूल, कालेज तक जा सकती हैं, मगर हमारी पार्टी का सोचना और कहना यह है कि गांव के अंदर रहने वाली महिला, पत्थर तोड़ने वाली महिला, घूंघट डालने वाली महिला, घर के अंदर पिटने वाली महिला और काम करने वाली महिला के लिए रिजर्वेशन का क्या तरीका होगा ? इस सदन तक पहुंचने के लिए उसे कौन सा रास्ता दिया जाएगा और जब तक समाज की इस महिला को रिजर्वेशन का लाभ नहीं पहुंचता, हम समझते हैं कि इस रिजर्वेशन का पूरा फायदा नहीं मिलेगा । लिहाजा इस रिजर्वेशन को शामिल करते हुए समाज का वह वर्ग जिसे हम समाजवादी चाहते हैं कि वह भी इस सदन में पहुंच सके, जब तक उन के लिए कोई यकीनदहानी नहीं होती, जब तक उन के हुकूक के तहफ्फुज की जमानत इस बिल के अंदर नहीं होती है, कोई ऐसा कानून महिलाओं के लिए बनाया जाना महिलाओं के फायदे के लिए कुल्लियन नहीं होगा, मुकम्मल नहीं होगा जब तक उन के हुकूक के तहफ्फुज की जमानत इस बिल के अंदर नहीं होती है । बहुत-बहुत शुक्रिया ।

SHRI J. CHITHARANJAN (Kerala): Hon. Chairman, Sir, I thank you for having permitted me to associate myself with the views and sentiments expressed by Smt. Sarla Maheshwari regarding reservation for women in Parliament as well as in the State Legislatures. This issue was pending before the Lok Sabha as well as in the Rajya Sabha for a long time and a lot of discussion has taken place in both the Houses. The matter had also been discussed in public. Generally, it is welcome to introduce such a legislation and pass it. The people in India, generally, welcome it. Of course, there are certain people who are raising some apprehensions. Some people also want reservation in reservation. Those problems are there. I do not want to go into those details. Another point that has been raised is that, nowhere in the world such a reservation is made or provided for women either in Parliament or in the State Legislatures. It is true. But there is no condition that we shall only reproduce legislations that are adopted in various other countries. In the case of certain legislations, we can take our own steps. For example, in the case of Panchayati Raj and local bodies, a provision was made for reservation for women. There were serious apprehensions expressed by several people. But, now, the experience is before us. It is

working very well and it has not affected the functioning of the Panchayati Raj institutions or the local bodies. Therefore, my party had been supporting this Bill from the very beginning, and even to this day, we are supporting it. We wholeheartedly support this. My suggestions is, this Bill should be passed in Parliament. Of course, there is a difference of opinion. Attempts may be made to arrive at a consensus. It is better to arrive at a consensus. If a consensus is not arrived at, on that ground, it shall not be delayed. My suggestion is, in that case, if we fail in our attempts to bring about a consensus among all, this Bill should be presented before the House and it should be passed. This is what I have to say. Thank you.

* **श्री शरीफ-उद्-दीन शरीक** (जम्मू और कश्मीर) : जनाब चेयरमैन सर, यह एक फितरी बात है कि मुल्क में जागृति आई और हमारी बहनों ने ऐम्पावरमेंट में, इक्तिदार में, सियासियात में और ज़िन्दगी के मुख्तलिफ शोबों में हिस्सेदारी का मुतालबा करना शुरू कर दिया और यह उनका हक है । शायरे मशरिक़ ने 50 साल पहले कहा था 'औरत की ज़ात से है कायनात में रंग' । औरत न हो तो यह कायनात बेरंग हो जाएगी और इसमें कोई रंग नहीं रहेगा और मर्द किसी सूरत में इस लायक नहीं है कि वह औरत की किसी डिमांड की मुखालिफत करे क्योंकि औरत है तो मर्द की रूह है, कायनात का रंग है, उसकी मुखालिफत नहीं की जा सकती । जहां तक हमारी समाजी ज़िन्दगी का ताल्लुक है चंद मुट्ठीभर घरानों की इंगलिश मीडियम स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ी-लिखी लड़कियां, बड़ी डिग्री करके काम में आ गईं और जिस-जिस काम में आ गईं उस काम को वे बहुत ही अहसन तरीके से, बहुत खूबी से निभा रही हैं । लेकिन वे करोड़ों हमारी बहनें, बेटियां, माँएं, जैसा कि अभी मेरे भाई ने कहा, जो हमारे देश के दूर-दराज़ इलाकों में हैं, जिनको अपनी ज़िन्दगी के हुकूक के बारे में भी कोई इल्म नहीं है आज तक, उसका एहसास भी नहीं है उनको, ये भी एहसास नहीं है कि हमें ज़िंदा रहने का हक है या नहीं है, जिनको आज भी सुबह से शाम तक कोल्हू के बैल की तरह जफाकशी और मेहनत करके शाम को दो रोटी मिलती हैं और उसका पति नुक्स निकालकर उसको मारना-पीटना और उस पर जुल्म करना शुरू कर देता है। उसको तो पार्लियामेंट, संसद, असेम्बली का तसब्बुर ही नहीं है। मैं इन बहनों से यह भी पूछना चाहूंगा कि आपने उनके बारे में क्या सोचा है? आपके मुतालबात जो हैं तस्लीम होना चाहिए और आपका हक बनता है क्योंकि गाड़ी के दो पहिये हैं। अगर एक पहिया कमजोर होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, वह समाज नहीं चलेगा, वह समाज नहीं बदलेगा,

---

* Transliteration of the speech in Persian Script is available in the Hindi version of the debate.

जब तक कि हमारी बहन, हमारी मां, हमारी बेटी पूरी तरह से इस इम्पावर में हिस्सेदार न हों। लेकिन यह बहन, बेटी हिस्सेदार वह मुट्ठीभर लोग नहीं है जो शहरों में रहते हैं, जो चंद सरमायेदारों के और जिनके पास जराया है जिंदगी के उनको रिप्रजेंट करती हैं, उन घरानों को रिप्रजेंटेशन मिल रहा है, उन लोगों को नहीं मिला है, जैसा इन्होंने कहा कि पत्थर तोड़ने वाले, कोल्हू में काम करने वाले, खेत में काम करने वाले, उनको रिप्रजेंटेशन नहीं मिल रही है, बेशक आपको मिलेगी, बेसक टाटा-बिरला की बेटियां यहां आकर तकरीरें करेंगी और अपने मफादाद की हिफाजत कर लेंगी। बेशक ब्यूरोक्रेट्स के बेटे-बेटियां यहां आकर अपने मफादाद की हिफाजत कर सकती हैं। जो पोलिटिसियन्स आगे बढ़े हैं, उनकी बेटियां, उनकी बीबियां, उनकी मांये यहां आकर उनकी तहाफुज कर सकती हैं। लेकिन जो बिलखती हैं, जो सिसकती हैं, जो तड़पती हैं, जिनकी तकदीर में सिर्फ आंसू और आहें हैं, उनके मुकद्दर में जो लिखा है, उनकी शायद इससे तकदीर नहीं बदल सकेगी। इस अगस्ट हाउस को इन तमाम पहलुओं को देखकर के इस बिल को पास करना चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्रीमती अम्बिका सोनी : सर, सदन में ऐसे कितने लोग हैं जो पत्थर तोड़ते थे या ऐसे करोड़ों पुरुषों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जो आज महिलाओं के लिए इतनी अड़चन लगाई जा रही है। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय निरुपम : सर, मैं कम से कम एक महिला को जानता हूं जो गया में पत्थर तोड़ती थी और लोक सभा की सदस्या थीं, उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिला था। वह अपने बल पर आई थीं। ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती सरोज दुबे : आज वह स्टेट असेम्बली में हैं और मंत्री हैं। ....**(व्यवधान)**....

श्री रामदेव भंडारी : वह राष्ट्रीय जनता दल की सदस्या थीं। ...**(व्यवधान)**...

DR. (MS.) P. SELVIE DAS (Nominated): Thank you very much, Sir, for giving me an opportunity to speak. I need not emphasise on the significance of getting the Women's Reservation Bill passed. As I heard during the past two-and-a-half years in the House, all parties -- the ruling party, the Opposition, allied parties, and we, the nominated Members -- are willing to get this Bill passed. But, as we see the scenario today, you know what is happening. Even those women who are in a good position are suffering. We have to have this right of sitting in the right place. At the same time, we should have equity. When we have reservation for the Scheduled Castes, the Scheduled tribes, the minorities and the Backward Classes, why don't we have it for women also? Suppose if we get this Bill

passed as it is, that is, with 33 per cent reservation, in general, for all women, what would happen to those women who are in remote areas - the most downtrodden, the most exploited, and the most illiterate women? Even if you see the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and the minorities, it is only the affluent class among them, who live in urban areas, which is coming up. Only those come up who have had convent and English education. The people who live in remote areas, are not able to come up. Sir, I do not want to take much time, but I would strongly support this Bill, with a reservation, within it, for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the minorities and the Backward Classes. There is nothing wrong in making this reservation. I would like to share an experience with the House. Once I was talking to a group of women. They said, "We must fight in Parliament for our rights and we must get the reservation". Then, I said, "What will happen to those who live in backward, remote areas. Let them get it." They said, "You just go to the party. We do not bother about that". Such is the attitude even among women who belong to the forward group. So, I strongly recommend that we must have reservation within the reservation of 33 per cent, or, whatever the percentage may be. Thank you, very much.

SHRIMATI VANGA GEETHA (Andhra Pradehs): Sir, our party wholeheartedly supports this Bill. I associate myself with Mrs. Sarla Maheshwari.

In Andhra Pradesh, ladies are given more importance in the Legislative Assembly. Even though there is no reservation for ladies, our Chief Minister, Mr. Chandra Babu Naidu, in the recent Assembly and Parliamentary elections, gave nearly 32 seats for ladies. He has also given to ladies five Ministries which are important portfolios. The Assembly Speakership has also been given to a lady Member. We have implemented the reservations for ladies in the local bodies also a very long time back. We are also implementing the reservation in jobs for ladies also.

I request that the Bill should be passed at the earliest. Thank you.

SHRI SHANKAR ROY CHOWDHURY (West Bengal): Mr. Chairman, Sir, we have been having this debate on 33 per cent reservation for women for the last two-and-a-half years. I have been reading about this in the newspapers, and I have been hearing about this for the last six to eight months I have been in this august House. It is a prime example of the total

hypocrisy of all political parties across the entire spectrum from the extreme right to the extreme left. The reason is this. Everybody, whether he is inside or outside this august House, makes long speeches on why women should have 33 per cent reservation. Yes, a short time ago, when the Election Commissioner called a meeting of all political parties and asked, "Instead of having this eternal argument in the House, will the political parties reserve 33 per cent of seats on their own?", they put off this argument, and, knowing fully well that it will not be passed, said, "Let us go back to the House."

So, Mr. Chairman, through you, I appeal to the good sense of all political parties: let us not be hypocrites. Let us pass this Bill. Let the political parties give 33 per cent seats within their respective parties. Let the political parties have the responsibility of including such ladies, about whom our friends here have been eloquently saying: "पिछड़े वर्ग के हैं, दूर-दराज़ के हैं।" Let them include these people and field them as candidates. But, when these realities are put to these parties, they say that these ladies are not winnable candidates. Let us put the responsibility on the political parties. Let them stand up to what they promise and propose. Let them field 33 per cent women candidates in their own respective political parties. Thank you, Sir.

Killing of fishermen by Srilankan Navy

SHRI N. THALAVAI SUNDARAM (Tamil Nadu): Mr. Chairman, thank you for giving me the opportunity.

I strongly condemn the brutal attack and brutal killing of the Tamil Nadu fishermen by the Sri Lankan Navy. This is not the first time that this incident took place in our State. This has happened several times. More than 100 fishermen have been killed in the past seven years.

The fishermen from Adhirampattinam, Vedaranyam, Kodaikanari, Ramanathapuram, Puddukottai, Thanjavur, Nagapattinam and Kanyakumari districts are traditionally fishing in the coastal area of Sri Lanka. This is not the first time that this incident took place.

In 1997, there was a statement in the Press by the Major General of the Southern Command:

"We are not able to find the international boundary."

This is the first statement. The second statement was: